भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 670
जिसका उत्तर बुधवार, 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

लोक अदालतें

670. **डॉ. सुभाष रामराव भामरे :**
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :
श्री कुलदीप राय शर्मा :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
श्री ए.के.पी. चिनराज :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में विभिन्न प्रकार की कितनी लोक अदालतों का आयोजन किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न लोक अदालतों में कितने मामलों का निपटारा किया गया है और कितने मामले लंबित हैं ;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न लोक अदालतों में दायर मामलों के निपटान के लक्ष्य को पूरा करने में सफल रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने वंचितों को कानूनी सहायता प्रदान करने में वृद्धि करने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निधि प्रदान की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु ऐसी अदालतों के बार-बार आयोजन किए जाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : संपूर्ण देश और महाराष्ट्र राज्य तथा तमिलनाडु में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न लोक अदालतों में अभिनिर्धारित और निपटाए गए मामलों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण उपाबंध-क पर दिया गया है।

(ग) : किसी भी किस्म की लोक अदालत के गठन के पूर्व, मामलों का अभिनिर्देशन या निपटाए जाने के लिए कोई विनिर्दिष्ट लक्ष्य नियत नहीं किया गया है। तथापि, लोक अदालत क्रियाविधि और उचित वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाविधि के रूप में कार्य करने के लिए विरामी प्रक्रिया की प्रभावकारिता में अभिवृद्धि के लिए डाटा का मूल्यांकन किया गयै है।

(घ) : सरकार ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता कार्यकमों के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) को सहायता अनुदान के रूप में निम्नलिखित निधियां जारी की है। निधियां किसी भी विधिक सहायता स्कीम के लिए पृथकत: आबंटित नहीं की गई है।

(रु0 करोड़ में)

वर्ष	जारी की गई निधियां
2016-17	63.67
2017-18	100.00
2018-19	150.00
2019-20	140.00
कुल	**453.67**

(ङ) : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने लोक अदालतों के आयोजन के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 द्वारा नाल्सा को दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे लंबित मामलों की संख्या में अपेक्षित कमी की जा सके। स्थायी लोक अदालतें पूर्व-मुकदमेबाजी के प्रक्रम पर जनपयोगी सेवाओं के मामलों के निपटारे के लिए भी संचालित की जाती हैं।

****

उपाबंध-क

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 670 जिसका उत्तर तारीख 20.11.2019 को दिया जाना है के भाग (क) से (ख) के उत्तर में यथा निर्दिष्ट उपाबंध

पूरे देश में और महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्यों में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयोजित की गई विभिन्न लोक अदालतों का और निपटाए गए मामलों का विवरण ।

<u>नियमित लोक अदालत:</u>

राज्य	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20 (जून तक)	
	आयोजित लोक अदालत की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	आयोजित लोक अदालत की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	आयोजित लोक अदालत की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	आयोजित लोक अदालत की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
पूरे देश में कुल	119021	1724312	109695	1928682	116711	1046737	24267	128452
महाराष्ट्र	829	143753	65	1117	47	798	20	327
तमिलनाडु	2841	19182	3364	19024	3259	17144	493	2239

<u>राष्ट्रीय लोक अदालत:</u>

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (सितंबर, 2019 तक) के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या :

राज्य	वर्ष			
	2016	2017	2018	2019
पूरे देश में कुल	10498424	5405867	5882561	3880833
महाराष्ट्र	420297	511349	808625	298299
तमिलनाडु	566854	540718	475753	257120

<u>स्थायी लोक अदालत:</u>

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अगस्त, 2019 तक) के दौरान स्थायी लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या :

राज्य	वर्ष			
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूरे देश में कुल	93555	124459	102625	42320
महाराष्ट्र	10546	10089	2981	1549
तमिलनाडु	0	0	0	7

****